

क्या हुआ तेरा वादा... नगर परिषद दुकान देने के वादे से क्यों मुकर गई...? तीन दिन की हड़ताल के बाद दुकान में घुसे दुकानदार निर्माण शुरू होने के बाद से चल रही दुकान आवंटन को लेकर उठा-पटक

माही की गूंज, पेटलावद। रकेश गेहलोत

नगर के नया बस स्टैंड पर नगर परिषद द्वारा जीर्णोद्धार किए गए कॉम्प्लेक्स की दुकानों को लेकर लगभग दो वर्ष से लगातार उठा-पटक चल रही है। हर थोड़े दिन में दुकानों को लेकर नई चर्चा का दौर शुरू हो जाता है। इस बीच दुकानों की छत और अतिरिक्त बनी एक दुकान की नीलामी के बाद मामला और उलझ गया और दुकान की आस लगाए बैठे पुराने दुकानदारों की लागत मूल्य में दुकान मिलने की उम्मीदें भी धूमिल होने लगीं। टूटती उम्मीदों के साथ इस परिषद के कार्यकाल की अंतिम बैठक में दुकानदारों को उम्मीद थी कि, नगर परिषद अपने वादे के मुताबिक दुकानें आवंटित करेगी। लेकिन कलेक्टर का फरमान बीच में आ गया और परिषद की अंतिम बैठक में जिला कलेक्टर को पुराने दुकानदारों के हक में प्रस्ताव बना कर भेज दिया। निराकरण होता नही देख दुकाने न मिलने से नाराज दुकानदार सोमवार दोपहर से भूख हड़ताल पर बैठ गए।

जर्जर रैन बसेरा और दुकान बनाकर किया दुकानों का जीर्णोद्धार, जमे दुकानदार दुकान मिलने के आश्वासन पर हटे पूर्व में उक्त स्थान पर रैन बसेरा बना हुआ था। रैन बसेरे के निचे 8 दुकानें थी जो नगर परिषद से किराए पर थी और लगभग 40 वर्षों से इन दुकानों से ये 8 दुकानदार अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। पूरा व न जर्जर होने के कारण कभी भी



क्र 233 - लागत मूल्य 3.65 में दुकान देने का लिखित आश्वासन देकर प्रथम किस्त एक लाख जमा करने हेतु नगर परिषद का दुकानदारों को पत्र।



गिरने का डर बना हुआ था। जिससे जन हानि होने की सम्भना थी। कई बार नगर परिषद को शिकायत के बाद भी जर्जर भवन गिराया नही जा सका। भाजपा नेता चंदन भंडारी द्वारा इस जर्जर भवन की शिकायत के बाद एसडीएम द्वारा उक्त भवन को सुरक्षा की दृष्टि से गिराने के निर्देश नगर परिषद को दो से दिन बार दिए गए थे। लेकिन उक्त भवन के प्रथम तल पर दुकान में बैठे 8 दुकानदार हटने को तैयार नही थे। जिन्हें नगर परिषद द्वारा लागत मूल्य 3 लाख 65 हजार में दुकान देने के आश्वासन के बाद जर्जर भवन को तोड़ कर नए मार्केट का निर्माण कार्य किया गया।

निर्माण के बाद जुड़ा रहा विवाद लगभग 6 माह काम रहा बन्द

जर्जर भवन को तोड़ कर नगर परिषद ने उक्त स्थान पर दुकान निर्माण का कार्य शुरू किया और चलते कार्य में कई बार गलत जमीन पर निर्माण की शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत के बाद एसडीएम शिशिर गेमावत के आदेश पर नपती की गई। जिसमें शासकीय भूमि राजस्व मद की भूमि पर अतिक्रमण निर्माण होने का बता कर कार्य रोकने का आदेश जारी कर दिया गया। पेटलावद दौरे पर आये प्रभारी मंत्री इंद्रसिंह परमार के सामने मामला आने के बाद कार्य रोकने पर एसडीएम और तहसीलदार को कड़ी फटकार भी खानी पड़ी। मामला शांत होने के बाद



- मंगलवार को बन्द दुकानों के आगे भूख हड़ताल करते दुकानदार।



- बुधवार को अपनी अपनी दुकानों में बिना किसी निराकरण के प्रवेश कर गए दुकानदार।

कार्य शुरू हो सका। बताया जा रहा है भूमि नगर परिषद की निजी खरीदी हुई थी जिस पर निर्माण किया जा रहा था।

लाखों में विकी दुकान और छत बनी दुकानदारों के लिए मुसीबत

जीर्णोद्धार कर बनाये गए नए कॉम्प्लेक्स में 8 की जगह 9 दुकान का निर्माण किया गया। पूर्व के आठ दुकानदारों को 8 दुकान नगर परिषद देने का बोल कर लागत मूल्य से एक लाख वसूल चुकी थी। वहीं नगर परिषद द्वारा नगर में बने कॉम्प्लेक्स सहित गैर जरूरी भवनों की छत लीज पर दे रही थी। इसी के चलते नए कॉम्प्लेक्स की छत भी नीलामी के टेंडर जारी किये गए। नीलामी में छत 66 लाख 66 हजार में बिकी। वहीं एक बनी अतिरिक्त दुकान की नीलामी टेंडर के माध्यम से की गई, जिसमें एक मात्र दुकान 55 लाख 55 हजार में बिकी। छत और एक दुकान को मिला कर नगर परिषद को सवा करोड़ के लगभग राशि प्राप्त हुई। लाखों में बिकी दुकान के बाद शिकायतों का दौर शुरू हो गया और पुराने दुकानदारों को मामूली दर पर दुकान देने के पीछे नगर परिषद की मिलीभगत होना बता कर शिकायत दर्ज करवाई गई। नगर परिषद द्वारा जारी एक मात्र दुकान का मिनिमम टेंडर मूल्य 11 लाख दर्शाया गया था। जिसके बाद बाकी के दुकानदारों से भी कम से कम 11 लाख वसूलने और दुकानों को पुनः नीलामी करने की आवाज उठाने लगी। नगर के बड़े-बड़े पूंजीपति यहां दुकान लेने के चक्र में नगर परिषद और यहां तक कि पुराने दुकानदारों को भी प्रबलन देने लगे। इस संबंध में जिला कलेक्टर के पास मामला गया। जहां कलेक्टर की और नगर परिषद को दुकान नीलामी के प्रक्रिया अपनाने के सम्बंध पत्र जारी किया गया। जिससे 40 वर्ष से बैठे दुकानदारों को दुकान मिलने की उम्मीद भी धुंधली

होती दिखाई देने लगी। नगर परिषद द्वारा अब दुकानदारों से 3.65 की बजाए 11 लाख जमा करने पर दुकान देने का कहा जाने लगा। लेकिन एक-दो दुकानदारों को छोड़ कर 11 लाख की राशि देने में दुकानदार सक्षम नही थे। इस कारण दुकानें आवंटित नही हो सकी और अंतिम निर्णय के लिए गेद कलेक्टर के पाले में चली गई।

हड़ताल पर बैठे दुकानदार, तीसरे दिन जबरन दुकान में प्रवेश कर किया उद्घाटन

दुकाने नही मिलने से विगत दो वर्षों से बेरोजगार बैठे दुकानदारों ने सोमवार को दुकानों के आगे ही हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया। तीसरे दिन तक प्रशासन या नगर परिषद की ओर से पहल नही होने पर बुधवार को सभी दुकानदारों ने परिषद के लगे ताले खोल कर जबरन अपनी अपनी दुकान का प्रवेश कर कार्टर रख कर उद्घाटन कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि, नगर परिषद द्वारा लिखित में दुकान देने का कहा और राशि जमा करवाई थी। हम 40 वर्षों से यहां बैठे हैं और लगातार दुकानों को लेकर भूम पैदा कर हमसे दुकानें छीनने की कोशिश की जा रही है। हम दुकानों में जबरन नही घुसे हैं हमारी पुरानी दुकान में प्रवेश कर रहे हैं।

दो दुकानदारों के पास दो-दो दुकान भी बना विवाद का कारण

कुल 8 दुकानदारों में दो दुकानदार ऐसे हैं जिनके पास दो-दो दुकानें हैं जो विवाद का कारण था। शिकायतकर्ताओं द्वारा इस मामले को मुख्य रूप से दर्शाया गया और एक व्यक्ति को एक ही दुकान देने प्राधान्य होने की शिकायत की गई। साथ ही

आरक्षण प्रक्रिया की भी बात शिकायत में की गई। जमीन नगर परिषद की निजी, हमने दुकानदारों के पक्ष में प्रस्ताव भेजा, इस प्रकार से दुकान में घुसना गलत-अध्यक्ष मनोहरलाल भटेवरा

इस संबंध में नगर परिषद अध्यक्ष मनोहरलाल भटेवरा ने बताया कि, जानकारी मिली है कि दुकानदार अपनी अपनी दुकान में प्रवेश कर चुके हैं। नगर परिषद दुकानदारों के साथ है और जिला

कलेक्टर को भी हमारे द्वारा दुकान पुराने दुकानदारों को दिए जाने का प्रस्ताव बना कर भेजा गया है। अंतिम निर्णय जिला कलेक्टर को ही लेना है। यदि दुकानदारों ने दुकानों में प्रवेश किया है तो गलत है हमारे हाथ में कुछ नही है जिला कलेक्टर जैसा निर्देश करेगा वो किया जाएगा। नगर परिषद अध्यक्ष ने ये भी बताया कि, उक्त भूमि नगर परिषद की निजी है जिसको देने का अधिकार भी नगर परिषद को ही होना चाहिये।


शासकीय संपत्ति पर कोई अवैध कब्जा करेगा उस पर कार्यवाही की जाएगी- कलेक्टर

इस संबंध में जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा का कहना है कि, दुकानों के आवंटन के सम्बंध में प्रक्रिया नगर परिषद सीएमओ को भेज दी है। यदि कोई शासकीय संपत्ति पर कोई अवैध कब्जा करता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी।

न्यायालय में जा सकता है मामला

लम्बे विवाद के बाद दुकानदार, नगर परिषद और जिला प्रशासन आमने सामने हो गया है। जहां दुकानदार अपनी ही दुकान में नगर परिषद के लिखित आश्वासन और अमानत राशि के आधार पर दुकान में घुस चुके हैं। वहीं जिला कलेक्टर भी तय की गई नीलामी की प्रक्रिया से दुकान आवंटन की बात कह रहे हैं। इस प्रकार के कई मामले न्यायालय में जा चुके हैं जिसके बाद स्थिति जस की तस बनी हुई है। उक्त मामला भी न्यायालय में जाने की सम्भना है यदि प्रशासन दुकानदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करता है तो दुकानदार न्यायालय की शरण लगे ये तय है। फिलहाल दो वर्षों से बेरोजगार दुकानदार अपनी दुकान में रोजगार शुरू करते हैं या न्यायालय के चक्र में उलझते हैं ये देखना होगा।

परिवार जिसका मंदिर था, प्रेम जिसकी शक्ति थी, परिश्रम जिसका कर्तव्य था, परमार्थ जिसकी भक्ति थी।



श्री भवतीशंकर राठौर
देवलोक गमन - 21.08.2022

कर्म हमेशा ऐसे किए कि सबके दिलों में गूंजते रहे, आपका प्रेममय स्वभाव हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा।

भावपूर्ण श्रद्धांजलि

समस्त राठौर परिवार ग्राम झकनावदा

पगड़ी एवं स्मृति भोज
पगड़ी - 03/09/2022 प्रातः 9 बजे
स्मृतिभोज - 03/09/2022 प्रातः 10.30 बजे
स्थान - निजनिवास ग्राम झकनावदा

शोकाकुल :-
महेन्द्रसिंह राठौर, अरविन्दसिंह राठौर, जगमोहनसिंह राठौर, महावीरसिंह राठौर, दिनेश राठौर, राजू राठौर एवं समस्त राठौर परिवार ग्राम झकनावदा

सौजन्य - मातेश्वरी पेट्रोल पंप, मातेश्वरी कलेक्शन, एम.आर.ए.पी ट्रेडेक्स प्रा. लि.